



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 975]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017/अग्रहायण 13, 1939

No. 975]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2017/AGRAHAYANA 13, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1479(अ).**—केंद्रीय सरकार, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), में नियम 2 स्थान पर निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-  
(क) “अधिनियम” से कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) अभिप्रेत है ;  
(ख) “काडर” से इन नियमों की अधिसूचना से और इन नियमों के उपबंध-1 के रूप में सूचीबद्ध, प्रत्येक काडर में स्वीकृत पदों की संख्या और पदों का वर्गीकरण निर्दिष्ट है ;  
(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;  
(घ) “कार्यकारिणी समिति” से, अधिनियम, के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित कार्यकारी समिति के रूप में गठित समिति अभिप्रेत है ;  
(ड.) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) "वैज्ञानिक" "तकनीकी" और "गैर-तकनीकी" -से इन नियमों के उपबंध -1 में प्रशासनिक या अनुसचिवीय पदों के रूप में वर्गीकृत पद अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं"।

3. मूल नियमों के अनुसूची में -

(क) शीर्षक (i) "गैर-तकनीकी" प्रशासनिक या अनुसचिवीय पद के अधीन -

(i) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ 4 से 13 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

4	5	6	7	8
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	काँफी बोर्ड के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष जो वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित); में पदधारण किए हुए हैं।

9	10	11	12	13
उप निदेशक (प्रशासन) की दशा में प्रोन्नति द्वारा और उप निदेशक (वित्त) की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन बैंड - 3 5600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 5400 रु. (पूर्व संशोधित) में काफ़ी बोर्ड के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन बैंड- 2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) में काँफी बोर्ड के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है जिनके पास लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता हो -</p> <p><b>अर्हता:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है भावी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>1. सचिव, काफ़ी बोर्ड -अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक के स्तर का कोई एक अधिकारी - सदस्य</p> <p>3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हित के लिए एक वाह्य अधिकारी -सदस्य</p>	सचिव	लागू नहीं होता

**टिप्पण : 2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख में जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी :-

(क) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड-3 : 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. (पूर्व संशोधित) या समनुरूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतर आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(ii) "उप निदेशक (रा.भाषा.)" के पद संबंधी क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ 8 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :

"कॉफी बोर्ड के ऐसे अधिकारियों में से चयन की दशा में दो वर्ष जो वेतन बैंड -2 ; 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) में पदधारण किए हुए हैं।",

(iii) "ज्येष्ठ सहायक " के पद संबंधी क्रम सं. 20 के सामने स्तंभ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी अर्थात्:

"प्रोन्नति द्वारा।"

(ख) (ii) "वैज्ञानिक" पद शीर्ष के अधीन,-

(i) "अनुसंधान निदेशक" के पद संबंधी क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण का बीस वर्ष का अनुभव जिसमें से 7600 रु. (पूर्व संशोधित) के ग्रेड वेतन के पद पर कम से कम 3 वर्ष रहा हो या कार्य के प्रमाणित रिकॉर्ड के साथ ज्येष्ठ पर्यवेक्षी स्तर पर ग्रेड वेतन 6600 रु. (पूर्व संशोधित) के पद में दस वर्ष का अनुभव हो और अधिमानतः प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक लेखों के रूप में प्राप्त सृजनात्मक क्षमता रखता हो।";

(ii) क्रम सं. 5 के सामने

(क) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [1] सस्य ज्ञान" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में 3 वर्ष का अनुभव।";

(ख) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [2] पादप प्रजनन व आनुवंशिकी" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(ग) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [3] पादप ऊतक संवर्धन व जैव प्रोद्योगिकी" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(घ) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [4] पादप शरीर क्रिया विज्ञान" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(ङ.) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [5] कृषि रसायन" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(च) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [6] पादप रोग विज्ञान" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(छ) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [7] कीट विज्ञान" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(ज) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [8] जैव रसायन शास्त्र [कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी] (8) (ख) कृषि इंजीनियरी (कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी)" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि विस्तारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में तीन वर्ष का अनुभव।";

(झ) "विषय वस्तु विशेषज्ञ-(9) विश्लेषणात्मक रसायन" के पद संबंधी स्तंभ-6 में उपशीर्षक 4 "अनुभव" के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि प्रसारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य 3 वर्ष का अनुभव";

(ञ) "विषय वस्तु विशेषज्ञ [10] कृषि अर्थशास्त्र" के पद संबंधी स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि प्रसारण या कृषि शिक्षण के पद में ग्रेड वेतन 4600 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य 3 वर्ष का अनुभव";

(ट) "विषयवस्तु विशेषज्ञ-(11) कॉफी क्वालिटी के पद संबंधी स्तंभ 6 से 13 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित स्तंभ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :"

6	7	8	
खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा जैव प्रौद्योगिकी या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव रसायन या रसायन या रसायन या विश्लेषणात्मक रसायन में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री <b>अनुभव:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कृषि अनुसंधान या कृषि प्रसारण या कृषि शिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय :</b> खाद्य गुणवत्ता पहलुओं में अनुसंधान या शिक्षण अनुभव।	<b>शैक्षणिक अर्हता:</b> जी हां, <b>आयु:</b> जी नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

10	11	12	13
<b>प्रोन्नति:</b> वेतन बैंड - 2 : 9300-34800 रु. (पूर्व संशोधित) में ऐसे कनिष्ठ विशेषज्ञ में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी की	1. सचिव, काफी बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक के स्तर का कोई एक अधिकारी - सदस्य 3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हित के लिए एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	सचिव	लागू नहीं होता।"

<p>है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है भावी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख में जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>			
---	--	--	--

(iii) क्रम सं. 6 के सामने

(क) "सहायक विशेषज्ञ [1] सस्य विज्ञान" के पद के संबंध में

(I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव"।

(II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष"

(ख) "सहायक विशेषज्ञ [2] पादप प्रजनन व आनुवंशिकी" के पद के संबंध में

(I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव"।

(II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष"। ;

(ग) "सहायक विशेषज्ञ [3] पादप ऊतक संवर्धन व जैव प्रोद्योगिकी" के पद के संबंध में -

(I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष "अनुभव" के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव"। ;

- (II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”
- (घ) “सहायक विशेषज्ञ [4] पादप शरीर क्रिया विज्ञान” के पद के संबंध में  
 (I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव” । ;
- (II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष” । ;
- (ङ.) “सहायक विशेषज्ञ [5] कृषि रसायन ” के पद के संबंध में -  
 (I) स्तंभ 6 में उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव” । ;
- (II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”
- (च) “सहायक विशेषज्ञ [6] पादप रोग विज्ञान” के पद के संबंध में  
 (I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -  
 “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव” । ;
- (II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष” । ;
- (छ) “सहायक विशेषज्ञ [7] कीट विज्ञान” के पद के संबंध में -  
 (I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -  
 “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य के पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव” । ;
- (II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -  
 “सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष” । ;
- (ज) “सहायक विशेषज्ञ [8] जैव रसायन और कृषि इंजीनियरी (कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी)” के पद के संबंध में -  
 (I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:  
 “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य के पदों में अनुसंधान या शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव” । ;

(II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -

“सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”।

(झ) “सहायक विशेषज्ञ [9] कॉफी क्वालिटी” के पद के संबंध में -

(I) स्तंभ 6 में, उप शीर्ष “अनुभव” के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:

“केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेड वेतन 4200 रु. (पूर्व संशोधित) या समतुल्य पदों में खाद्य गुणवत्ता पहलुओं में अनुसंधान या शिक्षण का पाँच वर्ष का अनुभव”। ;

(II) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -

“सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”

[फा. सं. 9/3/2007—बगान-ख]

संतोष कुमार मारंगी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 198(अ), तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा तारीख 20 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए -

(1) संख्यांक 872 (अ) तारीख 8 सितंबर, 2016;

(2) संख्यांक 1375 (अ) तारीख 8 नवम्बर, 2017.

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

**G.S.R. 1479(E).**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942) the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be inserted, namely:-
  - “(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
    - (a) “Act” means the Coffee Act, 1942 (VII of 1942);
    - (b) “Cadre” refers to classification of posts and the sanctioned strength of posts in each cadre from the notification of these rules and is as listed in Annexure-I to these rules;
    - (c) “Competent Authority” means the Secretary of the Board;
    - (d) “Executive Committee” means the Committee constituted as Executive Committee under the Act, amended from time to time;
    - (e) “Government” means the Central Government;
    - (f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;
    - (g) “Scientific”, “Technical” and “Non-Technical” – Administrative or Ministerial Posts means the posts classified as such in the Annexure-I, to these rules.
  - (2) The words and expressions used but not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning respectively as given to them in the Act”.

## 3. In the principal rules, in the Schedule,-

(a) under the heading '(i) "Non-Technical" Administrative or Ministerial Posts' -

(i) against serial number 5, for columns 4 to 13 and the entries relating thereto, the following columns and entries shall respectively be substituted, namely:-

4	5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years in case of promotion from among the officers of the Coffee Board holding post in the pay band-2, ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4600 (pre-revised)

9	10	11	12	13
By promotion in case of Deputy Director (Administration) and by deputation in case of Deputy Director (Accounts).	<p>Promotion: From among the officers of the Coffee Board in pay band-3 ₹ 15600-39100 with grade pay of ₹ 5400 (pre-revised) with five years' regular service in the grade or officers of the Coffee Board in pay band-2 ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4600 (pre-revised) with seven years' regular service in the grade having the following educational qualification on the basis of a written examination.</p> <p><b>Qualification:</b> Degree from a recognized University.</p> <p><b>Note1:</b> Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking, -</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) five years' service in the grade rendered after appointment thereto on</p>	<p>1. Secretary Coffee board – Chairman</p> <p>2. Any one officer at the level of Director – Member</p> <p>3. One outside officer in the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes – Member</p>	Secretary	Not applicable.”;

	<p>regular basis in pay band-3 ₹15600-39100 with grade pay of ₹ 5400 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years’.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--

- (ii) against serial number 6, relating to the post of ‘Deputy Director [Official Language]’, in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

“Two years, in case of selection from among the officers of the Coffee Board holding post in the pay band-2, ₹9300-34800 with grade pay of ₹4600 (pre-revised).”;

- (iii) against serial number 20, relating to the post of ‘Senior Assistant’, in column 9, for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:-

“By promotion.”.

- (b) under the heading ‘(ii) “Scientific” Posts.-

- (i) against serial number 1, relating to the post of ‘Director of Research’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Twenty years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching in an institution recognised by the Central Government or State Government, of which, three years shall be in the post with a grade pay of ₹7600 (pre-revised) or with ten years’ experience in the post with grade pay of ₹6600 (pre-revised) in a senior supervisory level with proven record of work and creative ability preferably in the form of scientific papers published in reputed National or International Scientific Journals.”;

- (ii) against serial number 5,-

- (A) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [1] Agronomy’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹ 4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (B) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [2] Plant Breeding and Genetics’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹ 4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (C) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [3] Plant Tissue Culture and Biotechnology’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹ 4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (D) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [4] Plant Physiology’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (E) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [5] Agricultural Chemistry’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (F) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [6] Plant Pathology’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (G) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [7] Entomology’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (H) relating to the posts of ‘Subject Matter Specialist- [8] (a) Biochemistry [Post-Harvest Technology] [8] (b) Agricultural Engineering [Post-Harvest Technology], in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;
- (I) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [9] Analytical Chemistry’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;

- (J) relating to the post of ‘Subject Matter Specialist- [10] Agricultural Economics’, in column 6, under the sub-heading ‘Experience’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4600 (pre-revised) or equivalent.”;

- (K) against serial number 5 relating to the post of ‘Subject Matter Specialist – (11) Coffee quality’, for columns 6 to 13 and the entries relating thereto, the following columns and the entries shall respectively be substituted, namely:-

“6	7	8	9
<p>Post-Graduate degree in Food Technology or Food Science and Nutrition or post Graduate degree in Science with specialization in Biotechnology or Botany or Zoology or Biochemistry or Chemistry or Analytical Chemistry.</p> <p><b>Experience:</b> Three years’ experience in agricultural research or agricultural extension or agricultural teaching from an institution recognized by the Central Government or State Government.</p> <p><b>Desirable:</b> Research or teaching experience in quality aspects of food.</p>	<p><b>Educational Qualification:</b> Yes;</p> <p><b>Age:</b> No.</p>	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment.

10	11	12	13
<p><b>Promotion:</b></p> <p>From among the Assistant Specialist in pay band – 2 ₹ 9300- 34800 (pre-revised) with three years’ regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission</p>	<p>1. Secretary, Coffee Board – Chairman</p> <p>2. Any one officer of the level of Director – Member</p> <p>3. One outside officer in the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes – Member</p>	Secretary	Not Applicable.”;

- (iii) against serial number 6,-
- (A) relating to the post of 'Assistant Specialist- [1] Agronomy',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.”;
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Two years for direct recruits.”;
- (B) relating to the post of 'Assistant Specialist- [2] Plant Breeding and Genetics',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.”;
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Two years for direct recruits.”;
- (C) relating to the post of 'Assistant Specialist- [3] Plant Tissue Culture and Biotechnology',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.”;
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Two years for direct recruits.”;
- (D) relating to the post of 'Assistant Specialist- [4] Plant Physiology',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.”;
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Two years for direct recruits.”;
- (E) relating to the post of 'Assistant Specialist- [5] Agricultural Chemistry',-

- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.";
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Two years for direct recruits.";
- (F) relating to the post of 'Assistant Specialist- [6] Plant Pathology'-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.";
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Two years for direct recruits.";
- (G) relating to the post of 'Assistant Specialist- [7] Entomology',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.";
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Two years for direct recruits.";
- (H) relating to the post of 'Assistant Specialist-[8] Biochemistry and Agricultural Engineering [Post-Harvest Technology]'.-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Five years' experience in research or teaching from an institution recognised by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.";
- (II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Two years for direct recruits.";
- (I) relating to the post of 'Assistant Specialist- [9] Coffee Quality',-
- (I) in column 6, under the sub-heading 'Experience', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Five years’ experience in research or teaching experience in quality aspects of food from an institution recognized by the Central Government or State Government in posts having grade pay of ₹4200 (pre-revised) or equivalent.”;

(II) in column 8, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

“Two years for direct recruits”.

[F. No. 9/3/2007-Plant-B]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 198(E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary dated the 20<sup>th</sup> March, 2014 and subsequently amended as follows:-

- i. G.S.R. 872(E), dated 8<sup>th</sup> September, 2016.
- ii. G.S.R. 1375(E), dated 8<sup>th</sup> November, 2017.

RAKESH SUKUL  
Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2017.12.05 20:09:10  
+05'30'